

अंतिम डिकरी व मुकदमे इक्टदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

( Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आरएएस

तारामणी

बनाम

छीतरमल आदि

दावा बाबत उदघोषा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं० 201/दावा/2015

निर्णय दिनांक 08.02.2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू जगदीश प्रसाद गौड़, आरएएस बहाजरी श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील मिनजानिव मुददई व --- मिनजानिव मुददालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, तहसीलदार, दांतारामगढ के पत्रांक भू.अ./16/231 दिनांक 19.01.2016 के द्वारा प्राप्त होने पर अंतिम डिकरी निम्न प्रकार से दी जाती है:-

1- ग्राम डांसरोली

खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
1. तारामणी पुत्री स्व. श्रीपाल जाति डाकोत सा. देह खातेदार	252	0.58 है०	बा. 3	1.74
	किता- 1	0.58 है०	बा. 3	1.74
2. छीतरमल पुत्र सन्नाराम जाति डाकोत सा.देह खातेदार	253	0.58 है०	बा. 3	1.74
	किता- 1	0.58 है०	बा. 3	1.74

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, दांतारामगढ को तहरीर

जारी हो।

बीज ..... मुबलिग..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08 फरबरी, 2016 को जारी की गई।



दस्तखत  
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ  
ओहदा

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4	00	स्टाम्प वकायलतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक	4	00			
मीजान	09	00	मीजान		

नोट: इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 201/15/दावा

तारामणी पुत्री स्व. श्रीपाल जाति डाकोत (भार्गव) उम्र व्यस्क नि० ग्राम डांसरोली  
तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

-वादीया

ब नाम

1. छीतरमल पुत्रश्री सन्नाराम जाति डाकोत (भार्गव) उम्र व्यस्क नि० ग्राम डांसरोली  
तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. पटवारी, पटवार हल्का डांसरोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
3. उप पंजीयक, दांतारामगढ जिला सीकर
4. तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति-

1. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील वादीया की ओर से

निर्णय

दिनांक- 08/02/16  
~~12/02/2015~~

(जगदीश प्रसाद गौड़)

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ  
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ